

बिहार सरकार

कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ0 बजट-आवंटन-19/2013-
प्रेषक,

११ (आवंटन)

/कृ0, पटना, दिनांक 06-08-2013

रामजी सिंह
सरकार के संयुक्त सचिव।

ax/Mail

सेवा में,

उप कृषि निदेशक, (आलू), बिहार, पटना/जिला उद्यान पदाधिकारी, नालन्दा/सारण/वैशाली,
(हाजीपुर)।

विषय: कृषि रोड मैप के अधीन राज्य याजानान्तर्गत आलू बीज उत्पादन कार्यक्रम का वित्तीय वर्ष 2013-14 में कुल 101.32 लाख रु० (एक करोड़ एक लाख बत्तीस हजार रूपये मात्र) की लागत पर योजना कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु कुल ₹1,01,32,000 (एक करोड़ एक लाख बत्तीस हजार रु०) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2958 दिनांक-07.06.2013 द्वारा कृषि रोड मैप के अधीन राज्य याजानान्तर्गत आलू बीज उत्पादन कार्यक्रम का वित्तीय वर्ष 2013-14 में कुल 101.32 लाख रु० (एक करोड़ एक लाख बत्तीस हजार रूपये मात्र) की लागत पर योजना कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। इस स्वीकृत राशि के अंतर्गत व्यय हेतु कुल ₹1,01,32,000 (एक करोड़ एक लाख बत्तीस हजार रु०) मात्र संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।


2. उपरोक्त ₹1,01,32,000 (एक करोड़ एक लाख बत्तीस हजार रु०) मात्र की निकासी बजट-शीर्ष 2401-फसल कृषि-कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-103-बीज-माँग संख्या-1-उपशीर्ष-0109-बीज गुणन फार्मों का विस्तार खेती पर व्यय, विपत्र कोड-P2401001030109, राज्य योजना स्कीम कोड-AGR-56 82, विषयशीर्ष-27 01-लघु कार्य के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में उपबंधित राशि 1245.00 लाख रु० से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.98 के आलोक में आवंटित है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरत बाद टी० भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अद्योहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन,



(रामजी सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

११ (आवंटन)

/कृ0, पटना, दिनांक 06-08-2013


प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार पटना को विवरणी सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु

प्रेषित।

2. विवरणी सहित संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई

हेतु प्रेषित।





सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

प्रतिलिपि : वित्त विभाग बिहार, पटना/कृषि निदेशक/निदेशक, उद्यान बिहार, पटना/निदेशक पी०पी०एम० बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार पटना/अपर कृषि निदेशक, (प्रसार) बिहार पटना/संयुक्त सचिव कृषि के आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, बिहार, राज्य बीज निगम, पटना/कुलपति, रा०कृ०वि०वि०, पूसा, समस्तीपुर/कुलपति, बि०कृ०वि०वि०, सबौर, भागलपुर/निदेशक, बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक, (योजना), बिहार पटना/प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना/उप कृषि निदेशक, (प्रक्षेत्र)/उप कृषि निदेशक, (बीज) बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी योजना शाखा (सचिवालय एवं कृषि निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को विवरणी सहित सूचनार्थ एवं आश्रयक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. विवरणी सहित उप कृषि निदेशक (सूचना)/आई. टी. मैनेजर बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

सुभा

15/08/13

सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

